

**BEFORE THE HONORABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DLEHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 710 OF 2023**

**IN THE MATTER OF:**

SUSHIL RAGHAV

...APPLICANT

-VERSUS-

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

**INDEX**

SR. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Supplementary Reply on behalf of the Respondent No. 7, Ghaziabad Development Authority in the matter of <i>Sushil Raghav v. State of Uttar Pradesh and Others</i> O.A. 710 of 2023.	1-5
2.	<b>ANNEXURE A-4 (Colly):</b> A true copy of the show cause notice dated 01.04.2025, 03.04.2025 & 04.04.2025.	6-117
3.	<b>ANNEXURE A-5 (Colly):</b> A true copy of the photographs of demolition.	118-121

Place: New Delhi

Date: 19.05.2025

  
आलोक रंजन  
अधिशायी अभियान

**GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY  
(RESPONDENT NO. 7)**



THROUGH COUNSEL

**YAGYAWALKYA SINGH**  
Advocate-On-Record, Supreme Court  
Reg. No. UP4143A/14  
Ch.No.:203, Setalvad Lawyers Block  
Supreme Court of India  
Off.: A-131 (LGF), Sector-46, Noida  
Ph.: 7838848157, 9315614163

**YAGYAWALKYA SINGH  
ADVOCATE-ON-RECORD  
A-131, SECTOR 46, NOIDA, and U.P.  
Email: [yagywalkya@dylawchambers.com](mailto:yagywalkya@dylawchambers.com)  
Contact: +91- 7838848157**

**BEFORE THE HONORABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 710 OF 2023**

**IN THE MATTER OF:**

SUSHIL RAGHAV

...APPLICANT

-VERSUS-

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

**SUPPLEMENTARY REPLY ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO. 7, GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY IN THE MATTER OF SUSHIL RAGHAV V. STATE OF UTTAR PRADESH AND OTHERS O.A. 710 OF 2023.**

**MOST RESPECTFULLY SHOWETH: -**

1. That the present supplementary reply is being filed on behalf of the Respondent No. 7, Ghaziabad Development Authority in the present Original Application No. 710 of 2023 titled as *Sushil Raghav v. State of Uttar Pradesh and Others* (hereinafter referred to as ‘the present matter’) pending for adjudication before the Hon’ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter referred to as ‘the Hon’ble Tribunal’).
2. That the Respondent No. 7 humbly craves leave of this Hon’ble Tribunal to rely of the contents of short reply filed earlier and the present supplementary reply may be read as part and parcel of the short reply filed, as an extensor.
3. That the present matter is examining the grievance of the original applicant that there was a park earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony at G.T. Road Mile 8/7, Sahibabad, Ghaziabad. The allegation is about construction of a road/pathway on the land earmarked for the park and also the

  
आलोक रंजन  
अधिशाली अधिकारी

construction of a drain and shifting of the boundary wall of the park to reduce the park area.

4. That in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal and in extension of the previous compliance, the Respondent No. 7 has issued **112 more show cause notices dated 01.04.2025, 03.04.2025 & 04.04.2025** under Section-27 of the Uttar Pradesh Town Planning and Development Act-1973. A true copy of the show cause notice dated 01.04.2025, 03.04.2025 & 04.04.2025 is marked and annexed herein as **ANNEXURE A-4 (Colly)**.
5. That it is humbly submitted that in total the Respondent No. 7 had issued 49 show cause notices under Section-27 of the Uttar Pradesh Town Planning and Development Act-1973 earlier – 9 show cause notice dated 30.12.2024 to the industries and 40 show cause notices dated 30.12.2024 & 31.01.2025 (Annexed in the short reply of Respondent No. 7) to the residents of the approximately 172 houses built in the area. Therefore, in total 161 show cause notices have been issued in a phased manner.
6. That it is humbly submitted that in pursuance of the show cause notice dated 30.12.2024 issued to the 9 industries wherein reply was sought and the noticees stated that the issue is pending before this Hon'ble Tribunal. It was further stated that the sale deed 22.06.2004 is a part of freehold industrial area bearing plot 80-K which states that CC Road was already present and the noticees have not constructed any road.
7. That it is humbly submitted that a letter was sent to Additional Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Ghaziabad and Deputy Commissioner, Police Commissionerate, Ghaziabad requesting for a team and assistance for demolition of unauthorized construction. Thereafter, on 08.05.2025 with the assistance of the local police and authority the demolition of the unauthorized construction was carried out.

  
आलोक रंजन  
अधिशारी अधिकारी

8. It is humbly submitted that in pursuance of the same, further action has been taken by the Respondent No. 7 in accordance with law and the unauthorized road has been demolished. It is further humbly submitted that the process of restoration of the green belt is being resisted by the locals. A true copy of the photographs of the demolition are duly marked and annexed herein as the **ANNEXURE A-5 (Colly)**
9. That it is humbly submitted that on the day of the demolition locals and residents resisted the actions of the authorities and subsequently there was threat of violence. Further, law and order situation is also under threat and due to demolition, the hostility has been showcased against the authorities.
10. That it is humbly prayed that the present supplementary reply filed on behalf of Respondent No. 7 may be taken on record.
11. That it is humbly submitted that Respondent No. 7 craves leave of this Hon'ble Tribunal to file additional replies as and when directed by this Hon'ble Tribunal.

Place: New Delhi

Date: 19.05.2025

  
आलोक रंजन  
अधिशान्दी अधिवान

**GHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY**  
(RESPONDENT NO. 7)



THROUGH COUNSEL

**YAGYAWALKYA SINGH**  
Advocate-On-Record, Supreme Court  
Reg. No. UP4143A/14  
Ch.No.:203, Setalvad Lawyers Block  
Supreme Court of India  
Off.: A-131 (LGF), Sector-46, Noida  
Ph.: 7838848157, 9315614163

**YAGYAWALKYA SINGH**  
ADVOCATE-ON-RECORD

A-131, SECTOR 46, NOIDA, and U.P.

Email: [yagywalkya@dylawchambers.com](mailto:yagywalkya@dylawchambers.com)

Contact: +91- 7838848157

BEFORE THE HONORABLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 710 OF 2023

IN THE MATTER OF:

SUSHIL RAGHAV

...APPLICANT

-VERSUS-

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS.

...RESPONDENTS

AFFIDAVIT

I, ALOK RANJAN, S/o LT. SH. R.P. GUPTA, aged about 58 years, presently posted as EXECUTIVE ENGINEER, GDA, and R/o SIHAZIABAD DEVELOPMENT AUTHORITY do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That I am the authorized representative of the Respondent Authority in the aforesaid matter and I am well conversant with facts and circumstances of the case and I am competent to swear the present affidavit.
2. That the contents of the accompanying short reply have been read over to me, which I understood and I state that the contents from para 1 to 6 are based on the records maintained by me and further as per the legal advice received and believed by me to be true.
3. That the Annexure filed with the present short reply are true copies of the originals.

M  
DEPONENT

आलोक रंजन  
अधिसारी अधिकारी

VERIFICATION

Verified at New Delhi on this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, 2025 that the contents of Para 1 to 3 of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

Certified / Attested  
That today (Date) \_\_\_\_\_  
The Signature / Thumb Impression  
of Shri. ALOK RANJAN  
Was made by \_\_\_\_\_  
Serial No. (2)

M  
Smt. Nandini Choudhary  
Notary, Ghaziabad, (U.P.) India  
15/05/25

M  
DEPONENT

आलोक रंजन  
अधिसारी अधिकारी



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 548 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 11/4/2025

सेवा में,

श्री. जगजीवन राम,

बाबू जगजीवन राम पार्क, (खण्ड-3/गली-3)  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7



647

7

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-579 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-11/4/2025

सेवा में,

श्री सुख देव

बाबू जगजीवन राम पार्क (टीम-3 फाली-3)  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटिन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभाषी प्रवर्तन  
जोन-7

648



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-580 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-11/4/2025

सेवा में,

श्री जगजीवन राम,

बाबू जगजीवन राम पार्क (सी० न०-3/गली-3)  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-582 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-11/4/2025

सेवा में,

श्री दिलीप साखान

बाबू जगजीवन राम पार्क, (गली-1)  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभाकर प्रवर्तन  
जोन-7



- 650

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 583 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 11/4/2025

सेवा में,

श्री महेन्द्र सिंह

बाबू जगजीवन राम पार्क (काली-1)  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-11, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटिन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

651



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-584 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-11/11/2025

सेवा में,

श्री धनन्जय राज

बाबू जगजीवन राम पार्क (कालोनी-1)

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

652



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-585 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-...1/4/2025

सेवा में,

श्री दिनेश सिंह,

बाबू जगजीवन राम पार्क (कालोनी-1)

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-11, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन0सी0टी0) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी0 क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभासी प्रवर्तन  
जोन-7

-653



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-586 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-11/11/2025

सेवा में,

श्रीमती सुनीता देवी

बाबू जगजीवन राम पार्क (अमी-1)

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

654



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-587/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-11/11/2025

सेवा में,

श्री. गोपाल रजक, श्री. गंगाराम व श्री. रोहित रजक,

बाबू जगजीवन राम पार्क (जाली-1)

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभाषी प्रवर्तन  
जोन-7

-655



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-588 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-11/4/2025

सेवा में,

श्रीमती पूजा शर्मा,

बाबू जगजीवन राम पार्क (जाली-1)

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



656

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-589 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-11/11/2025

सेवा में,

श्री. रिमेश

बाबू जगजीवन राम पार्क (गली-1)  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कौन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

657



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 590 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 11/4/2025

सेवा में,

श्री रमेश

बाबू जगजीवन राम पार्क (अमी-1)  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7

658



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 591 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 1/4/2025

सेवा में,

श्री अनिल कुमार

बाबू जगजीवन राम पार्क (कालोनी-1)  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कॉर्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

659-



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 592 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 11/4/2025

सेवा में,

श्री. जगजीवन राम

बाबू जगजीवन राम पार्क (गली-1)  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-11, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटिन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 593/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 11/11/2025

सेवा में,

श्री राम जयम

बाबू जगजीवन राम पार्क (जाली-1)  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



661

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 594 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 11/4/2025

सेवा में,

श्री इया प्रकाश सरोज

बाबू जगजीवन राम पार्क (कालोनी)

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



662

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 595 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 11/4/2025

सेवा में,

श्री राजेश व श्री सुकेश,

बाबू जगजीवन राम पार्क (गली-1)

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभाष प्रवर्तन  
जोन-7

-663



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 596 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 11/11/2025

सेवा में,

श्री राधेश्याम,

बाबू जगजीवन राम पार्क (गली-1)  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-11, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभाष प्रवर्तन  
जोन-7



664

# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 597/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 14/2025

सेवा में,

श्री. श्री. लाल

बाबू जगजीवन राम पार्क (गली-1)  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभासी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 664/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/11/25

सेवा में,

श्री शिव प्रसाद

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 663/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/4/25

सेवा में,

श्री कृष्ण शर्मा

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-662/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-31/1/25

सेवा में,

श्री जगजीवन राम

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 661 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/25

सेवा में,

श्री. किशन लाल

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 660 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/25

सेवा में,

श्री यादव

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभाकर प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-659 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-31/11/25

सेवा में,

श्री राजकुमार

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-॥, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथार्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-658 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/12/25

सेवा में,

श्री बाबू राम

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 657/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/5/25

सेवा में,

श्री रमेश कुमार पाला

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभाषी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-656/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-31/4/25

सेवा में,

श्री जगदीश

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभाश प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 655/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 3/4/25

सेवा में,

श्री राजेश्वरी प्रो. सुन्दरवर्मा,

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-654 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-31/4/25

सेवा में,

श्री. श्री. शशीला देवी पत्नी कमल

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभास प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 653 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/1/25

सेवा में, श्रीमती सीमा देवी

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 652/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/4/25

सेवा में,

श्री सोनू पुत्र श्री इन्द्रराज

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-651 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-31.11.25

सेवा में,

श्री सुशील राजावती शं० कृपया

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 650 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/4/25

सेवा में,

*श्री बाबू जगजीवन राम*

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

*M*  
प्रभासी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 649/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/11/25

सेवा में,

श्री. विश्वनाथ झा/श्री. शिवारी नाथ

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 648 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31.11.25

सेवा में,

श्री सुभाष सिंह s/o श्री राम सिंह

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 647/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/11/25

सेवा में,

श्री. जगजीवन राम पार्क

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 646 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/12/25

सेवा में,

श्री विष्णु मिश्रा पुत्र श्री रामनारायण

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 645 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/4/25

सेवा में,

श्री. श्री. साह पुत्र श्री सत्यदेवशा

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 644 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/25

सेवा में,

श्री मिथुन कुमार

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 643 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/25

सेवा में,

श्री सुकमा प्रसाद

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनैन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 642/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 3/4/25

सेवा में,

श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री बंगाली शर्मा

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7

de



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 641 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री. लालू पुष्पेश्वरी मिश्र

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-637/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-31/4/2025

सेवा में,

श्री वैजू शर्मा

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-638 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-3/4/2025

सेवा में,

श्री वकीलशमसुख श्री रामशंकरवर्मा,

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-639 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री जगजीश पुत्र श्री हरी लाल,

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 640 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री राजेश पुष्पक्षी दरी बाल

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-636 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-3/4/2025

सेवा में,

श्री जी नारायण

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-635 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-3/4/2025

सेवा में,

श्री बृज मोहन पुत्र श्री राम परवेश

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 634 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री इमेश कुमार पुत्र श्री श्याम कुमार

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभाषी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 633 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में, डी. डी. रत चौधरी

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 632/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री. जगजीवन राम श्री चम्पत

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 631 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री राजेश पुत्र श्री कृष्ण रजक

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 630 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/4/2025

सेवा में,

श्री. जगजीवन राम पार्क,  
बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-629 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 2/4/2025

सेवा में,

*श्री. बाबू जगजीवन राम*

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथार्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

*M*  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 628 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/11/2025

सेवा में,

श्री अनिल पुत्र श्री राम ध्वज,

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-627/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-3/4/2025

सेवा में,

श्री विशाखा पुत्र श्री राम विमान

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं-626 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में, श्री जय राम पुत्र श्री नाथू

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन0सी0टी0) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी0 क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 625/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री राम राज पुत्र श्री बमवारी

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-624 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-3/4/2025

सेवा में,

श्री. श्री. तुलसी देवी

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M /  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 623/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री अक्षय लाल मुहता

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विद, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभाष प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 622 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्रीमती निरंजना पत्नी विश्वेश्वर

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभाकर प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 621 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री योगेन्द्र सिंह

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं- 620 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री. वि. सु. श्री दिवपाल

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-11, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन0सी0टी0) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी0 क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभाकर प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 619 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री. रवि शिंदे पुत्र श्री कैलाश शिंदे

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं- 618 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री जे. ला. राम पुत्र श्री गुरु राम

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन0सी0टी0) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी0 क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 617 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 31/4/2025

सेवा में,

श्रीमती नीता पत्नी श्री राजकुमार

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेंस कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 616 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री योगेश्वर सिंह

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 615 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 31/4/2025

सेवा में,

श्री विष्णु

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-614 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री जगजिवन सिंह

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 613 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 3/4/2025

सेवा में,

श्री संतराम जगजीवन राम

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभास प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 612/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 03-08-2025

सेवा में,

श्री महादेव प्रसाद पुत्र श्री रामचरण

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 709 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 04.04.25

सेवा में

श्री. आशुतोष फुल-श्री. योगेश प्रकाश-

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7

04



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 708 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में,

श्री सोनू फुल खां श्री राजीव

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंन्टीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- ~~३०८~~ / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-04.04.25.

सेवा में,

श्रीमती सुखती कृष्णी श्री पाजवीर

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7





# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 706 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-04.04.25.

सेवा में

श्री श्री जगजीवन राम पार्क

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्त के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

०६



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 105 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में,

श्रीमती पूज्यती पत्नी स्वर्श्री उरीजाल

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

०६



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 704/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में

श्री. बाबू जगजीवन राम

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभासी प्रवर्तन  
जोन-7

९



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 703 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में  
श्री. राजेन्द्र सिंह फुलमाराज सिंह

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,


कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-11, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7





# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 702 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025.

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में

श्री विनय लखपुर फुल श्री बल लखपुर

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

ok



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 701 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में

श्री. जगजीवन राम पार्क

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेंस कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभाषी प्रवर्तन  
जोन-7

०६



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 700 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में

श्री श्रीधरपाल फुल श्री धनसिंह

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

0/c



# गजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गजियाबाद।

पत्रांक सं०- 699 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-04.04.25

सेवा में,

श्री. लखमीर फुल श्री विद्युत

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

०/८



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 6018 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में

श्री राजवीर कुमार श्री विहारी

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रमारी प्रवर्तन  
जोन-7

५२



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 697/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 04.04.25

सेवा में,  
श्री कृष्ण सिंह फुलारी विद्यार्थी-

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी-अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रमारी प्रवर्तन  
जोन-7  
०/६



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 696 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-04.04.25,

सेवा में  
श्री जगजीवन राम फुल्लू शीनिवारी

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कॉर्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7





# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 695 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में,

श्री पप्पू शाह

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7





# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 694/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-04.04.25.

सेवा में,

श्रीमती कमलापत्नी श्री राम किशन-

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7





# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-693 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-04.04.25

सेवा में,  
श्री चिरजी लाल

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेंस कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

de



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-692 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-04.04.25.

सेवा में  
श्रीसती चतुर्वेदी पत्नी श्री देवीराम

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन 7

o/c



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 69L / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-04.04.25

सेवा में

श्री. राजेन्द्र पञ्चशी षष्ठ्याम

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7





# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 690 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में

श्री प्रमोद कुमार श्री रामसत्य

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसके समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M /  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

व/क



# गजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गजियाबाद।

पत्रांक सं०- 689 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में,  
श्री गिरिराज प्रसाद

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉर्टी, गजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7





# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-688 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-04.04.25.

सेवा में

श्री राजन लाल फुलश्रीहराम

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M /  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

o/e



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-687 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-04.04.25.

सेवा में

श्री. बाबू जगजीवन राम

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

ok



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-686 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-04.04.25

सेवा में,

श्री राजू फुलकी धनालाय

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M /  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

ole



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 685 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 04.04.25

सेवा में,  
श्री परेशी फुज श्री बनीराम

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

०/०



# गजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गजियाबाद।

पत्रांक सं०- 684 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में  
श्री राजेश कुमार श्रीराम

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7

०/०



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-683 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक 04.04.25,

सेवा में,  
श्री. जगजीवन राम

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7





# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-682 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-04.04.25.

सेवा में  
श्री राहुल फुल शी जय फिदा

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M /  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7

ok



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 68L / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में  
श्री विष्णु श्री जय किशोर

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7





# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं- 680/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक-04.04.25.

सेवा में,  
श्री अक्षय कुमार श्री हरि किशोर

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-11, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7  
e



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-679 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-04.04.25.

सेवा में,  
श्री लोकेश फुलशी हरिकेशन

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7  




# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 648 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 04.04.25.

सेवा में,  
श्री अशोक फुल श्री जीतरफ

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।


मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन0सी0टी0) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी0 क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन

जोन-7





# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं- 677/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 4/4/2025

सेवा में,

श्री सागर पुत्र श्री जमेश,

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन0सी0टी0) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी0 क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7  
ok



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 676 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 11/11/25

सेवा में,

श्री. लक्ष्मीकान्त शुक्ला

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैंलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 675/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 18/11/2025

सेवा में,

श्री मधीपाल पुत्र श्री पूरन सिंह

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 674/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 4/4/2025

सेवा में, श्री राम बाल

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

M  
प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 673 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 4/4/2025

सेवा में,

श्री विष्णु कुशुपु श्री राम लाल

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**


महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कॅन्टीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

  
प्रभासी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०- 672/प्रवर्तन खण्ड जोन-7/2025

दिनांक- 4/4/2025

सेवा में,

श्री रामजी लाल शंकी रामसहाय

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कारपोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभारी प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-671 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक- 4/4/2025

सेवा में,

श्री राजेश्वर शर्मा

बाबू जगजीवन राम पार्क

राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया

गाजियाबाद।

**विषय:-** राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वेलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।

मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

प्रभाष प्रवर्तन  
जोन-7



# गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक सं०-670 / प्रवर्तन खण्ड जोन-7 / 2025

दिनांक-4/4/2025

सेवा में,

*श्री श्रीम. जैन*

बाबू जगजीवन राम पार्क  
राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल एरिया  
गाजियाबाद।

**विषय:- राजेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित पार्क की सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी०टी० रोड़ मील 8/7, ग्राम-साहिबाबाद, गाजियाबाद का ले-आउट प्लान दिल्ली हाउसिंग एण्ड फाइनेन्स कार्पोरेशन-II, पार्क विव, करोल बाग, नई दिल्ली-12 द्वारा प्रिस्क्राईब्ड अथॉर्टी, गाजियाबाद से दिनांक-01.01.1962 को स्वीकृत कराया गया था। विकासकर्ता कम्पनी द्वारा स्वीकृत ले-आउट प्लान में पार्क हेतु 14400 वर्ग गज क्षेत्रफल का प्राविधान किया गया था, जिसके अन्तर्गत कैंटीन व वैलफेयर सेन्टर की व्यवस्था की गयी थी।




मा० राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण(एन०सी०टी०) नई दिल्ली में विचाराधीन ओ०ए० सं०-710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-17.10.2024 के क्रम में पूर्व में गठित समिति द्वारा उक्त विवादित पार्क के स्थल निरीक्षण उपरान्त ज्ञात हुआ कि प्रश्नगत पार्क की भूमि में से लगभग-2864 वर्ग मी० क्षेत्र पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करते हुए बाबू जगजीवन राम, कालोनी अवैध रूप से बसी हुई है, जिसके अन्तर्गत आपका भवन स्थित है।





अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के अन्दर अपने भवन के स्वामित्व एवं की स्वीकृत मानचित्र से सम्बन्धित प्रपत्र आदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत आप द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर किये गये अवैध निर्माण को हटाने एवं आपके विरुद्ध मुकदमा चलाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका होगा।

**टिप्पणी:-** आपका ध्यान उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके अनुसार सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण अथवा बाधा के अन्तर्गत आपके विरुद्ध नियमानुसार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही करने का प्राविधान है।

*M*  
प्रभाषी प्रवर्तन  
जोन-7

758







 GPS Map Camera

**Ghaziabad, Uttar Pradesh, India**

80k, Shyam Park Main, Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh  
201007, India



 **GPS Map Camera**

**Ghaziabad, Uttar Pradesh, India**

Plot No - 80k, Part 2, 13, Rajinder Nagar Industrial Area,  
Rajendra Nagar, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh

201007 India